IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 5, November 2025 Impact Factor: 7.67

जनजातियों में विस्थापन, पुनर्वास और सामाजिक परिवर्तन का एक अध्ययन

डॉ. के. पी. अहिरवार
सेवानिवृत्त प्राचार्य
(समाजशास्त्र विभाग)
शासकीय ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दमोह, जिला-दमोह (म.प्र.)

प्रज्ञा सिंह
शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग
महाराजा छात्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर (म.प्र.)

शोध सारांश -

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार, सरकार द्वारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है। भूमि अधिग्रहण एक कानूनी स्थिति है। लेकिन पुनर्वास कोई कानूनी स्थिति नहीं है। उदाहरण के लिए, जो आजीविका से वंचित है, उसके पुनर्वास के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। भूमि अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहणकर्ता को मुआवज़ा देना है। भूमि अधिग्रहण में संपत्ति खोने वाला व्यक्ति उन जनजातियों के लिए जो मूल स्थान पर आ गए हैं। जंगल के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। जंगल भोजन, चारा, ईंधन और अन्य दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं का स्रोत है। लेकिन अब विस्थापन के बाद जंगल तक उनकी पहुँच प्रतिबंधित है। विस्थापित लोगों के बारे में कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उनके अपने निवास स्थान की तुलना में निचले स्तर पर धकेल दी गई है। सामाजिक परिवर्तन भी देखे गए हैं, जैसे उनकी अपनी संस्कृति में बदलाव अपने पारंपरिक रीति–रिवाजों और मूल्यों, लोककथाओं और नृत्य को भूलकर, वे नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्र में आए। उनमें से कई रिक्शा चलाते थे और यह बताने में झिझकते थे कि वे एक जनजाति हैं।

मुख्य शब्द - विस्थापन, जनजातिया, पुनर्वास, सामाजिक परिवर्तन, आदि।

प्रस्तावना :-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत ने राष्ट्र के विकास और लोगों के आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ विकसित करना शुरू किया। बुनियादी ढाँचे, सड़कों और लोगों के लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का विकास हुआ। बड़े बांध और बाँध परियोजनाओं में निवेश और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश शुरू हुआ। इस प्रक्रिया ने नए दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया और वह है मूल निवासियों से विस्थापन और भूमि अधिग्रहण, भारत में विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के कई स्थान हैं। आदिवासी लोग मुख्यधारा के समाज से अधिक असुरक्षित और शोषित हैं। भूमि अधिग्रहण, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र के अनुसार, आवास एक बुनियादी मानव अधिकार है। लोगों का अपने निवास स्थान से विस्थापन मानसिक अशांति पैदा करता है। इससे भूमि और रोज़गार की असुरक्षा पैदा होती है। भारत में अधिकांश भूमि अधिग्रहण सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से किया जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 1894 में संसद में भूमि अधिग्रहण विधेयक प्रस्तुत

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 5, November 2025 Impact Factor: 7.67

किया गया था। यदि सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को भूमि खाली करने के लिए पूर्व सूचना देनी होगी। और भूमि के बदले में सरकार को भूमि मालिक को नकद मुआवज़ा देना होगा। यह भूमि अधिग्रहण विधेयक के अनुसार है।

शोध पत्र का मुख्य उद्देश्यः

1. विस्थापित जनजातीय लोगों को नकद मुआवजे के साथ–साथ रोजगार के अवसर का अध्ययन करना।
2. हर कदम के क्रियान्वयन के बारे में ग्रामीणों को विश्वास में लिया जाना चाहिए, उन्हें नीतियों, नई परियोजनाओं और अपनी ज़मीन की उपयोगिता के बारे में जागरूता का अध्ययन करना।
3. आदिवासी लोग अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं, तो उन्हें अपनी जीवनशैली और तौर–तरीके से जीने का अध्ययन करना।

भारत में जनजातियों को जातीय समूह माना जाता है। संस्कृति और भाषाई समूह में भेद के कारण, बाहरी लोगों के प्रभाव से जनजातियों की रक्षा के लिए सरकार ने पूर्वोत्तर के अलग–थलग इलाकों में रहने वाली जनजातियों के लिए हैंड ऑफ दृष्टिकोण अपनाया, सरकार ने भारतीय संविधान में पाँचवीं और छठी अनुसूची विकसित की, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर भारत के लिए बाहरी लोगों का आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सीधे भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ने जनजातीय नीति पर समीक्षा आयोग का गठन किया जिसे ढेबर आयोग 1960 के नाम से जाना जाता है। ढेबर आयोग की रिपोर्ट ने जानकारी दी कि आधुनिकीकरण के कारण संस्कृति–ग्रहण प्रक्रिया हो रही है। इससे जनजातीय समुदाय के व्यवसाय में परिवर्तन हुए।

वन उन्मुखीकरण और पहाड़ी खेती से पशुपालन और कृषि की ओर रुझान बढ़ा, इस रिपोर्ट ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में ऐसे प्रावधान किए जो वन पर जनजातीय लोगों के प्रथागत अधिकारों को अस्वीकार करने से बचाते हैं। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के उदय के बाद, इसने निजी कंपनियों और कॉर्पोरेट को उच्च तकनीक वाले वृक्षारोपण गतिविधियों में प्रवेश करने से हतोत्साहित किया। सरकार ने जनजातीय आधुनिकीकरण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को उच्च तकनीक वाली कृषि में प्रवेश करने के लिए प्राथमिकता दी। आदिवासियों को ज़मींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष की मुख्यधारा में लाने के लिए केरल कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल को भारत का एक भाषाई प्रांत बनाने की माँग शुरू की। इस दृष्टि से आदिवासियों को आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति के संदर्भ में नए अवसरों की तलाश करनी थी।

1975 में केरल ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू किया। इस अधिनियम के माध्यम से बड़ी संख्या में आदिवासी साहूकारों के चंगुल से मुक्त हुए। केरल सरकार ने मुक्त हुए आदिवासियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू किया। आदिवासियों द्वारा व्यावसायिक नकदी फसलों की खेती के लिए सहकारी कृषि का गठन किया गया। बाद में, प्रियदर्शिनी चाय राज्य की सुगंधरी इलायची परियोजना नामक सहकारी परियोजना के तहत आदिवासी जंगलों को अधिग्रहित किया गया। जनजातियों को जल आपूर्ति, सामाजिक अवसंरचना, शिक्षा, स्थापना और स्वच्छता भी प्रदान की गई। सरकार ने आदिवासी विकास कार्यक्रमों, योजनाओं और योजनाओं का भी विचार प्रस्तुत किया है।

भारत में जनजातियों का संक्षिप्त विवरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366(25) उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति कहता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं और जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है। इन्हें भारत की विमुक्त जनजातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सूची के अनुसार,

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 5, November 2025 Impact Factor: 7.67

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 47.10 प्रतिशत है। भारत विशाल विविधता और संस्कृति वाला देश है। भारत में जनजातियाँ पूरे देश में वितरित हैं। हिमालय की तराई से लेकर लक्षद्वीप भारत के भूभाग तक, पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों से लेकर गुजरात के मैदानी इलाकों तक, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों का उच्चतम प्रतिशत अर्थात 30.6 प्रतिशत है। लगभग 12 प्रतिशत जनजातियाँ उत्तर पूर्वी राज्य में हैं। उत्तर पूर्वी राज्य की कुछ जनजातियाँ संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। जो उत्तर पूर्वी जनजातियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। नागालैंड और मिजोरम की जनजातियाँ अपने नागरिक मामलों को अपने प्रथागत कानूनों के अनुसार चलाती हैं। भारत में कुल 641 जनजातियाँ हैं। इनमें से 176 जनजातियाँ मध्य भारत में निवास करती हैं। भारत में जनजातीय आबादी का वितरण भाषाई और भौगोलिक स्थिति पर आधारित है।

जनजातियों का स्वदेशी ज्ञान, भारत की जनजातियाँ पहाड़ी और वनवासी हैं। ये रेगिस्तानी और तटीय क्षेत्रों में भी निवास करती हैं। इनके पास स्वदेशी ज्ञान के अभ्यास का व्यापक अनुभव है जो स्थायी आजीविका का मार्ग प्रशस्त करता है। इनका ज्ञान कटाई की तकनीकों और पहाड़ों में पुलों के निर्माण में परिलक्षित होता है। औषधीय प्रयोजनों के लिए झाड़ियों और पौधों के उपयोग में भी इनका ज्ञान झलकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ अपने घरों के निर्माण में पुराने ज्ञान का उपयोग करती हैं। जैसे, घर को गर्म रखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी उपचार और औषधियाँ दी जाती हैं। आधुनिकीकरण में लुप्त होने से पहले इन सभी मूल्यवान ज्ञान को लिखित और दस्तावेज़ी रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।

किसी भी व्यक्ति, आबादी या जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति संसाधनपूर्ण उत्पादक भूमि होती है। यह उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण मानसिक या मानसिक स्थिरता भी प्रदान करती है। भूमि अधिग्रहण केवल जनहित के लिए नहीं होता। इसे धोखाधड़ी, पट्टे और अतिक्रमण के लिए लिया जाता है। यह निजी स्वार्थ के लिए भी होता है। कई धोखेबाज़ लोग आदिवासियों से ज़मीन लेकर उसे इमारतों और मॉल के निर्माण के लिए बेच देते हैं। ये ज़मीनें ज़मीन के दस्तावेज़ पर अंगूठे का निशान लेकर ली जाती हैं और भू–अभिलेखों में दर्ज हो जाती हैं।

निष्कर्ष :-

विकास परियोजनाएँ भूमि अधिग्रहण का एक नया स्रोत बन रही हैं। खनिज संसाधनों के दोहन के लिए आदिवासी क्षेत्र निजी कंपनियों की ओर सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। और सिंचाई परियोजनाओं के मामले में आदिवासियों को अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विभिन्न शोधों की रिपोर्ट से पता चला है कि पुनर्वास सुविधाओं का लाभ केवल कुछ प्रतिशत आदिवासियों को ही मिला है। बड़ी परियोजनाओं से बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हुए हैं और बेरोजगारी, अभाव और कर्ज के बंधन में फंस गए हैं। परियोजना के संचालक द्वारा दिया जाने वाला मुआवज़ा सीधे नकद में दिया जाता है। यह आदिवासियों को अनुत्पादक खर्च और धोखाधड़ी करने के लिए सशक्त बनाता है। विस्थापन की प्रक्रिया में बच्चे और महिलाएँ अधिक बुरी तरह प्रभावित होते हैं। जंगल से अधिकार छिन जाने से, आजीविका के पारंपरिक स्रोतों जैसे जल, ज़मीन, जंगल, चारागाह और नदियों तक उनकी पहुँच छिन जाती है। श्रम बाज़ार में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अधिक हाशिए पर हैं। अन्य स्रोतों और ज़मीन को पुनः प्राप्त करके महिलाओं और आदिवासियों को सशक्त बनाया जा सकता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 5, November 2025 Impact Factor: 7.67

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डूब क्षेत्र के गांवों का पुनर्वास सरदार सरवर–नर्मदा परियोजना पर सामान्य रिपोर्ट, सामाजिक अध्ययन केंद्र, जोशी, 1987।
2. भारत सरकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2007।
3. भारत में औद्योगीकरण के सामाजिक–सांस्कृतिक निहितार्थ, आदिवासी बिहार का एक केस स्टडी। नई दिल्ली। अनुसंधान कार्यक्रम समिति, योजना आयोग। एल.पी. विद्यार्थी। 1970।
4. बड़े जलाशय परियोजनाओं का मानव बस्ती पर पर्यावरणीय प्रभाव. ए.के. दलुआ. 1993.
5. विकास बनाम भारत में जनजातीय लोगों का विस्थापन समस्या और संभावनाएँ। रुद्र नारायण मिश्रा।
6. योजना पत्रिका के विभिन्न अंक।
7. कुरूक्षेत्र पत्रिका के विभिन्न अंक।
8. दैनिक सामाचार पत्र के विभिन्न अंक।